1.4.19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर नहीं। वकील वादी / वादी स्वयं बार-बार आवाज लगाने के बाद भी हाजिर नहीं। अतः वाद-पत्र को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मीसल मुताबिक होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो

ह0

उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner